Strong basis of all round development of language child

भाषा बालक के सर्वागीण विकास का सशक्त आधार

Dr. Devendra Singh Chamyal[1], Dr. Ajay Singh Latwal[2] & Shailja karki[3]

1- Assistant Professor, Department of Education, Soban Singh Jeena University Campus, Almora(Uttarakhand)

2- Assistant Professor, Department of Education, Goverment PG Mahila Degree College, Haldwani (Uttarakhand)

3- M.Ed. Student, Department of Education, Soban Singh Jeena University Campus, Almora(Uttarakhand)

सारांश– भाषा से ही समाज में व्यक्ति की पहचान होती है, भाषा दो समाजों के बीच सम्प्रेषण का साधन है। किसी भी प्राणी का जन्म भाषा के साथ नहीं होता वह जन्म के पश्चात् भाषा के बारे में जानता है। भाषा समाज से सीखी जाती है। भाषा व्यक्तित्व के प्रकाशन का साधन है और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक परम्परा की संवाहक भी है। **मर्टों ए0 पाई** के अनुसार– "**भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी हैं।**" भाषा मूल्यों की सृष्टि करना संभव बनाती है। प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति और सम्प्रेषण भाषा के बिना संभव नहीं है। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते है। **ई. एच. स्टर्टीवेण्ट** के अनुसार –**"भाषा मुख से उच्चारित संकेतों की एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग तथा अन्तःक्रिया करते है।"** भाषायी सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि भारत में 22 आधिकारिक भाषाएँ एवं 1652 बोलियाँ (Dialects) प्रचलित हैं। 21 फरवरी 1999 को यूनेस्को ने प्रतिवर्ष मातृभाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। डार्विन का मत है कि भाषा ईश्वरीय वरदान नहीं है अपितु ध्वनियों, शब्दों, बोली से विकसित एवं परिष्कृत होकर आज इस अवस्था तक पहुँची है। भाषा के दो रूप शाब्दिक और अशाब्दिक है। ध्वनि के लिए विभिन्न भाषाओं में अपनी–अपनी वर्णमाला विकसित की है। वास्तव में वर्णमाला एक भाषा के संकेतों का स्वरूप है।

मुख्य शब्द– व्यक्ति, समाज, विकास, सशक्त, महत्व एवं भाषा

प्रस्तावना– भाषा के द्वारा समाज में लोगों के मध्य अंत क्रिया होती है। भाषा आभ्यान्तर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परम्परा से विच्छिन्न है। भाषा बालक का समाजीकरण करती है। उसे सामाजिक प्राणी बनाती है एवं मानव चिंतन की अभिव्यक्ति भी भाषा के द्वारा ही होती है। प्रायः भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपियों की सहायता लेनी पड़ती है। भाषा और लिपि, भाव व्यक्तीकरण के दो अभिन्न पहलू है। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है और दो या अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। उदाहरणार्थ– पंजाबी, गुरूमुखी तथा शाहमुखी दोनों में लिखी जाती है जबकि हिन्दी, मराठी, संस्कृत, नैपाली, इत्यादि सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। **हार्टन एवं हण्ट** के अनुसार– "**एक भाषा आवाजों का एक समूह है, जिसमें प्रत्येक आवाज को एक अर्थ प्रदान किया जाता है।**" समय–समय पर भारत में सामाजिक संरचना शासक वर्ग एवं विशिष्ट परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ–साथ भाषा में भी परिवर्तन हुए हैं। प्राचीन हिन्दू धर्म ग्रन्थों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। जैन व बौद्ध धर्म में पाली एवं प्राकृत भाषाओं का प्रयोग होता था। मुसलमानों ने उर्दू, अरबी और पर्सियन भाषा का प्रयोग किया। अंग्रेज शासकों ने अंग्रेजी को राजकाज की भाषा बनाया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं को भी संविधान में स्थान दिया गया। तत्पश्चात भारतीय भाषाओं के साहित्य के भंडार में वृद्धि हुई है, जिससे कहानियों, नाटकों, गीतों एवं लोकप्रिय मुहावरों आदि में वृद्धि हुई। एक स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले लोग एक भाषा को बोलते थे लेकिन वर्तमान में यातायात के साधनों में वृद्धि एवं आवाजाही के कारण लोग अपने स्थानीय मातृभाषा के अलावा दुसरे भाषायी क्षेत्र के भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। जिसने भारत के सामाजिक सम्बन्धों में भी योगदान दिया। भाषा के द्वारा ही मनुष्य समाज के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। मनुष्य के अर्जित व्यवहार तथा मानवीय विकास का प्रमुख आधार ही भाषा है। भाषा को वंश परम्परागत गुण नहीं माना जाता है। लेकिन भाषा सीखने की क्षमता मनुष्य में जन्मजात होती है। मनुष्य किसी भी भाषा को सीखने एवं उच्चारण करने की क्षमता रखता है। इसके माध्यम से हम परस्पर सामाजिक व्यवहारों और तौर तरीकों को समझते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। **एम0 के देशपाण्डे** ने अपने एक लेख **"भाषा सक्षम की नई तकनीक"** में लिखा है, "**भाषा–शिक्षा का सम्बन्ध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनायें प्रदान करना मात्र नहीं बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलो में दक्ष बनाना हैं, जैसे– समझना, बोलना, पढ़ना और लिखना।"**

समाज में अपने विचारों और भावों के आदान–प्रदान के लिए भाषा की अत्यन्त आवश्यकता है। भाषा के बिना सभी लोग परस्पर मूक और भाव–विहीन हो जाते हैं। **गौतम** के अनुसार –**"मेरी दृष्टि में भाषा मात्र मनुष्य के मनुष्य होने की पहचान और शर्त है। भाषा के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं होता, पशु के तथा मनुष्य के विकास में भाषा ही वह पीढ़ी है, जिसे पार करके वह मनुष्यता को प्राप्त करता है। भाषा मिलने के बाद वह मनुष्य रूपी सभी पशु सभी जीवों से पृथक हो जाता है**।" भाषा का अर्थ उसके, दो रूपों में होता है–

(1) **व्यापक अर्थ**– "वे सभी साधन भाषा कहे जा सकते हैं जिनका प्रयोग कोई प्राणी समुदाय अपने विचार–विनिमय के लिए करता है। इस परिभाषा के अनुसार केवल मनुष्यों को ही नहीं वरन् मानवेत्तर प्राणियों की भी भाषाएँ होती है तथा मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त

अंग–संचालन, हाव–भाव प्रदर्शन, प्रकाश प्रयोग, झंडी प्रयोग, शब्दांकन, उच्चारण, ब्रेल प्रयोग, आदि सभी 'भाषा' के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं"

(2) संकुचित या सीमित अर्थ– ब्लोचंड ट्रेजर के अनुसार– **"स्वैच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था जिसके माध्यम से कोई मानव समुदाय परस्पर सहयोग तथा व्यवहार करता है, भाषा है।"**

संकेतों को अशाब्दिक भाषा तथा ध्वनी संकेतों को शाब्दिक भाषा कहते है। सार्थक ध्वनि संकेतों से भाषा बनती है, निरर्थक ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जाता है। बालक जन्म के पश्चात् परिवार के सदस्यों में रहकर भाषा के तत्वों को ग्रहण करना प्रारंभ करता है और अनुकरण द्वारा शनैः–शनैः उसे बोलने लगता है। **बोर्ड ऑफ लन्दन** द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ में भाषा के विषय में कहा गया है कि भाषा एक कौशल, एक कला, एक भाव और एक क्रिया है। भाषा निरन्तर अभ्यास से आती है। **भोलानाथ तिवारी** का कथन हैं **"अभ्यास के लिए की जाने वाली बातचीत भी यथासाध्य नियन्त्रित रखी जानी चाहिए, ताकि जो ध्वनियाँ, रूप, वाक्य, आदि स्पष्ट हो चुके हों, वे ही आयें, ऐसा न हो कि कोई नई ध्वनि आदि स्पष्टीकरण के बहुत पहले प्रयोग में आ जायें। इससे हानि यह होती है कि थोड़ा ही दूराभ्यास हो जाने के पश्चात् उसे छोड़ना और फिर से शुद्ध रूप से ग्रहण करना बहुत कठिन हो जाता हैं भाषा को सीखने के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों में उस भाषा को सीखने की रुचि है। छात्रों को भाषा में प्रवीण एवं सिद्ध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वे चारों क्षमताओं– पढ़ना, बोलना, लिखना तथा सुनना एवं समझना में दक्षता प्राप्त करें।"**

ब्लाक एवं ट्रेगर के अनुसार –"भाषा यादृच्छिक मौखिक प्रतीकों की व्यवस्था हैं जिसके द्वारा उस भाषा के समुदायी लोग परस्पर विचारों का आदान–प्रदान एवं सहयोग करते है।"

भाषा की परिवर्तनशीलता ही इस बात का भी परिचायक है कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है वह समयानुसार बदल जाती है। ध्वनि, शब्द रूप, वाक्य रचना, अर्थ आदि की दृष्टि से एक भाषा का ढाँचा दूसरी भाषा से अवश्य भिन्न होता है। भाषा किसी व्यक्ति विशेष की अपनी व्यक्तिगत पहचान भी है जिसे हम व्यक्तिगत संपदा कहेंगे तथा भाषा सामाजिक सम्पदा भी है। इस प्रकार व्यवहारिक रूप से भाषा के कई स्वरूप परिलक्षित होते हैं। मानव जीवन में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पहलुओं से सम्पर्क बने रहने के कारण भाषा के विविध रूप दिखायी देते हैं, यथा– मूल भाषा, मातृभाषा, बोली, प्रादेशिक भाषा, राज भाषा, सांस्कृतिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, आदि। भाषा पैतृक सम्पत्ति नहीं है। भाषा परम्परागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता, किन्तु वह उसमें परिवर्तन आदि कर सकता है। यदि भाषा का कोई जनक तथा जननी है तो वह, परम्परा तथा समाज है। भाषा परिवर्तनशील विकास की एक प्रक्रिया है, भाषा कभी भी पूर्ण नहीं होती, अर्थात यह कभी भी नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा का अन्तिम रूप अमुक है, भाषा का जन्म समाज में होता है, तथा उसका प्रयोग भी समाज में होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। भाषा अर्जित सम्पत्ति है, मनुष्य भाषा का अर्जन अपने चारों ओर के वातावरण से करता है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, वस्तुतः भाषा के मौखिक रूप को भाषा कहा जाता हैं लिखित रूप तो उसके पीछे–पीछे ही चलता है, मौलिक भाषा को व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है, परन्तु अनुकरण हमेशा अपूर्ण होता है, इसी कारण भाषा में सदैव परिवर्तन होते रहते है भाषा ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। अपनी भावाभिव्यक्ति संसार के सभी प्राणी अपने–अपने तरीकों से करते हैं। सामान्यतः उन्हीं तरीकों को उनकी भाषा कहते है, विचार के अभाव में अपनी भाषा का विकास नहीं कर पाते। विचार–प्रधान एवं विकासशील भाषा तो मनुष्य की ही विशेषता है। व्यक्ति के मनोभावों की अभिव्यक्ति के प्रयत्न ने भाषा को जन्म दिया। मनुष्यों के बीच जो सामाजिक अन्तः क्रिया होती है, वह सब भाषा के माध्यम से होती है, वे आपस में जो भी व्यवहार करते हैं, वह सब भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा के माध्यम से ही मानव जाति सामाजिक समूहों में गठित हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा का व्यक्ति और समाज से घनिष्ठ सम्बन्ध है। भाषा आदमी के साथ–साथ जीती है। भाषा व्यक्ति के विकास और अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा समाज में सम्प्रेषण–व्यवस्था का एक सशक्त उपकरण है, वह समाज के वर्गों को एकता के सूत्र में बाँधने का कार्य करती है, तो साथ ही वह उनमें विलगाव करने का हेतु भी बनती है। एक ओर वह राष्ट्रीय भावना का संवाहक बनती है तो दूसरी ओर एक ही राष्ट्र के विभिन्न भाषायी समुदायों में विषम भाव उत्पन्न करने वाली चेतना। अतः भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्णय का राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। विभिन्न समाजों एवं राष्ट्रों की भाषायी स्थिति के संदर्भों को देखकर कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों एवं सम्प्रेषण व्यवस्था का निर्वाह वह किस कदर तक कर पायेगा। यहाँ पर हम पाकिस्तान और भारत के उदाहरण ले सकते हैं। स्वभाव और आदत के रूप में हम भाषा का नित–प्रतिदिन व्यवहार करते हैं। व्यवहार के विविध क्षेत्रों में इसका उपयोग करते हैं। विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हम इसको भिन्न रूपों में अपनाते हैं। हम भले ही अनुभव न करें, पर भाषा हमारे सामाजिक जीवन की हर साँस में किसी–न–किसी रूप में बंधी–छिपी रहती है। अपने सामाजिक जीवन में प्राणरूप सिद्ध इस उपकरण को स्वभावतः हम स्वीकारते और अपनाते चले जाते हैं, बिना यह सोचे–समझे कि भाषा की अपनी प्रकृति क्या है? भाषा स्वयं में क्या है? यही कारण है कि शिक्षा के व्यापक सन्दर्भ में भाषा का क्या स्थान होना चाहिए, शिक्षार्थी को समाज और राष्ट्र की अपनी अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में भाषा विज्ञान पर कितना बल देना चाहिए, अन्य विषयों और अनुभव के साथ इसे किस रूप में सहयोजित करना चाहिए? आदि कई आधारभूत प्रश्नों की हम उपेक्षा कर जाते हैं। जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमें धोखा देने लगता है, तब वह हमारा कितना भी घनिष्ठ, आत्मीय और अभिन्न क्यों न हो, हम उसकी ओर ध्यान देने के लिए विवश हो उठते हैं। भाषा और भाषा–शिक्षक के बारे में भी यही बात सिद्ध हो रही है। आज अनेक शिक्षाविद व दार्शनिक यह स्वीकार करने लगे हैं कि हर शैक्षिक उद्देश्य की असफल परिणति अथवा गलत उपलब्धि के पीछे मूलतः भाषा की असफल सिद्धि अथवा गलत प्रयोग है। आज हमें भाषा और भाषा–शिक्षण के प्रति अधिक सचेत होने की आवश्यकता है।

एन०ई०पी–2020 ने सिफारिस की कि त्रि–भाषा सूत्र को जारी रखा जाय और सूत्र के कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान किया जाय। त्रि–भाषा सूत्र में कहा गया कि राज्य सरकारों को हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, एक आधुनिक भारतीय भाषा, अधिमानतः दक्षिणी भाषाओं में से एक के अध्ययन को और गैर–हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी भाषा के अध्ययन को अपनाना और लागू करना चाहिए।

एन०ई०पी–2020 में कक्षा– 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा–8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परन्तु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

भाषा का महत्व

भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है। भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। भाषा का आविष्कार एवं विकास वस्तुतः मनुष्य का विकास है। मनुष्य के व्यक्तित्व एवं सामाजिक जीवन में भाषा के महत्व को निम्न प्रकार समझा जा सकता है–

(1) **ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन–** भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन और नवीन आत्मा और विश्व पहचानने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है।

(2) **विचार विनिमय का सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन–** बालक जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात् परिवार में रहकर भाषा सीखने लगता है। यह भाषा वह स्वाभाविक एवं अनुकरण के द्वारा सीखता है इसे सिखाने के लिए किसी अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती। यह विचार–विनिमय का सर्वोत्तम साधन है क्योंकि भाषा संकेतों एवं चिन्हों से श्रेष्ठ है।

(3) सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन– भाषा समाज के सदस्यों को एक सूत्र में बाँधती है। भाषा के माध्यम से ही समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। भाषा जितनी विकसित होगी समाज उतना ही विकासशील होगा। यह भाषा ही है जिसके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग मिल–जुलकर रहते हैं। वस्तुतः भाषा समाज को जोड़ने में सहायक है। अतएव यह कहा जा सकता है कि भाषा सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन है ।

(4) व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक– भाषा व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ अंदर छिपी अनन्त शक्ति अभिव्यक्त होती है। अपने विचारो एवं भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकना तथा अनेक भाषायें बोल सकना विकसित व्यक्तित्व के ही लक्षण हैं। अतएव किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट होगी उसके व्यक्तित्व का विकास भी उतने ही प्रभावशाली ढंग से होगा।

(5) भाषा राष्ट्र की एकता का आधार– समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से होता है। भाषा राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है। इसके साथ ही कोई अन्य भाषा भी विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार–विनिमय, व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान का साधन बनती है। ऐसी भाषाओं के अभाव में विभिन्न राष्ट्रों के विद्वानों की विचारधाराएँ राष्ट्र विशेष तक ही सीमित रह जाती है।

(6) चिन्तन एवं मनन की स्रोत– हम भाषा के द्वारा ही विचार, चिन्तन एवं मनन करते हैं। मानव अपने विचारों की ऊँचाइयों के कारण ही सभी प्राणियों में शिरोमणि समझा जाता है। शुक सारीक आदि पक्षी केवल थोड़े–से समझने योग्य विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसी कारण अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। विचारों की ऊँचाइयो के कारण ही आज मानव विभिन्न ग्रहों की जानकारी लेने में सक्षम है। विश्वशान्ति एवं मानव एकता के प्रयास निरन्तर प्रयत्नशील हैं। अतएव यह स्पष्ट हो जाता है कि विचार–चिन्तन और मनन शक्तियों का विकास भाषा पर ही आधारित होता है।

(7) शिक्षा की प्रगति की आधारशिला– भाषा, शिक्षा का आधार है। सभी ज्ञान–विज्ञान के ग्रन्थ भाषा में ही लिपिबद्ध होते हैं। अगर भाषा न होती तो भाषा के स्वरूप का भी निर्माण नहीं होता तथा यदि शिक्षा की व्यवस्था न होती तो मनुष्य असभ्य, हिंसक तथा जंगली रहा होता। भाषा के अभाव में पूर्वजों द्वारा उपलब्ध ज्ञान हमें कभी प्राप्त न होता।

(8) साहित्य एवं कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास– साहित्य भाषा में लिखा जाता है। भाषा का विकास उसके पल्लवित साहित्य के दर्पण में देखा जाता है। इसी तरह से कला के स्वर भी भाषा में मुखरित होते हैं। जब वायुमण्डल में स्वर गूँजते हैं तथा श्रोता गद्‌गद् हो जाते हैं तो यह सारा चमत्कार भाषा का ही होता है। भाषा के द्वारा ही हम अपने समाज के आचार–व्यवहार तथा अपनी विशिष्ट जीवन शैली से अवगत होते हैं और भाषा के द्वारा ही हम नवीन आविष्कारों के आधार पर एक नवीन सृष्टि का सृजन करते हैं तथा अपनी भाषा को उन्नत बनाते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. कपिल, एच०के० & सिंह, ममता (2013)। *सांख्यिकी के मूल तत्व*। आगराः अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
2. कौल, लोकेश (2012)। *शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली*। नोएडाः विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड।
3. गेरैट, एच०ई० (2000)। *शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग*। लुधियानाः कल्याणी पब्लिशर्स।
4. चतुर्वेदी, एस० (2016)। *पाठ्यक्रम में भाषा*। आगराः अग्रवाल पब्लिकेसन्स।
5. चतुर्वेदी, एस० (2018)। *पाठ्यक्रम में भाषा*। आगराः अग्रवाल पब्लिकेसन्स।
6. जीत, वाई (2009)। *शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियाँ*। आगराः अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
7. जौहरी दीप्ति & जायसवाल अनीता (2017)। *शिक्षा में नवाचार*। मेरठः आर0 लाल0 बुक डिपो।
8. पलोड़, सुनिता & लाल, आर०बी० (2008)। *शैक्षिक चिन्तन एवं प्रयोग* / मेरठः आर०लाल बुक डिपो।
9. राय, पी० & राय, सी० पी० (2012)। *अनुसंधान परिचय* । आगराः लक्ष्मी नारायण अग्रवाल।
10. सिंह, एच0 (सन् नहीं)। *अनुसंधान एवं अध्यापक शिक्षा के मुद्दे* । मेरठः आर0 लाल0 बुक डिपो।
11. Best, J. W., & Kahn, J. V. (2014). *Research in education.* Delhi: PHI Learning Private Limited.
12. Gupta, S. (2005). *Education in emerging India*. Delhi: Shipra publication.
13. Mukerji, S. N. (1958). *An introduction to Indian Education*. Baroda: Acharya book depot.
14. Seetharamu, A.S. (1989). *Philosophies of Education.* New Delhi: Ashish Publishing House.
15. Taneja, V. R. (1986). *Educational Thought and Practice.* New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.

वेबसाइट–

www.google.com
www.sodhganga.inflibnet.ac.in

समाचार पत्र–

2023, फरवरी 19। *अभियान*। अमर उजाला, नैनीताल, पे० न० 15।